187/2016 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 187/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपपंजीयक), श्रीगंगानगर

P3

11–02–2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 19.09.2016 के द्वारा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपपंजियक) श्रीगंगानगर से चाही गई 2 बिन्दुओ की सूचना उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 19.09.2016 के द्वारा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपपंजियक) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

1. सुभाष गोयल बीएलओ भाग संख्या 80 दिनांक 5.04.2014 से दिनांक 7.04.2014 लोक सभा चुनाव श्रीगंगानगर में चुनाव डयूटी मे मुख्यालय छोडने हेतू जोधपुर जाने हेतू स्वीकृति के लिए दिये गये प्रार्थना पत्र की सूचना व सुभाष गोयल द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. आपके विभाग द्वारा जारी दिनांक 05.04.2014 से दिनांक 07.04.2014 की अवधि में मुख्यालय छोडने की अवधि का दिया गया पत्र की सूचना व पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपपंजियक) श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 1611 दिनांक 28.12.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 1241 दिनांक 13.10.2016 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई थी।

सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपपंजियक) श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 1241 दिनांक 13.10.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुताबिक रिकार्ड श्री सुभाष गोयल द्वारा चुनाव डयूटी में मुख्यालय छोडने हेतु प्रार्थना–पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत नही किया गया। मुख्यालय छोडने की अनुमति हेतु मूल विभाग केन्द्रीय सहकारी बैंक श्रीगंगानगर या निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) कार्यालय से सूचना हेतु सम्पर्क करे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

PTO

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त 2 बिन्दुओ की सूचना के संबंध में उपपंजियक श्रीगंगानगर द्वारा उक्तानुसार उत्तर दिया गया है जो सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (उपपंजियक) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर